निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 9 (छात्रसंघ)चुनाव / अकाद / निकाशि / 2011 / 317 दिनांक 05-08-2011

समस्त प्राचार्य,
राजकीय / अनुदानित / गैर अनुदानित महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, (गुप–4) विभाग के पत्रांक एफ 3 (54) शिक्षा–4 / 2002 पार्ट जयपुर दिनांक 3.8.11 के द्वारा दिनांक 20.8.11 को निर्धारित छात्रसंघ चुनाव के संबंध में राज्य सरकार से कार्यक्रम प्राप्त हो गया है, जो कि विभागीय वेबसाईट www. collegeeducation. rajasthan. gov.in पर उपलब्ध हैं।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांक :– एफ 9 (छात्रसंघ)चुनाव / अकाद / निकाशि / 2011 / 317 दिनांक 05-8-2011

प्रतिलिपः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त सहायक निदशेक, क्षेत्रिय कार्यालय कॉलेज शिक्षा,जयपुर / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / अजमेर।
2. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि संलग्न छात्रसंघ चुनाव 2011 के निर्धारित कार्यक्रम को विभागीय वेब साईड पर डालने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक, अकाद
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3(54) शिक्षा–4/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांकः03.08.2011

1. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
3. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर ।
4. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
5. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
7. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।
9. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर ।

विषयः– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों के संबंध में ।
संदर्भः– विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.1.2010,लिंगदोह समिति सिफारिशें जिन्हें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया एंव विभाग द्वारा जारी किये गये आवश्यक निर्देश दिनांक 25.6.2010 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर जारी निर्देशों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष सम्पूर्ण प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 20.8.2011 को एक दिवस में छात्र संघ चुनाव करानें का निर्णय लिया गया है । विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निम्नलिखित छात्रसंघ पदाधिकारियों के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होंगे :–

1 अध्यक्ष–
2 उपाध्यक्ष–
3 महासचिव–
4 संयुक्त सचिवः–
5 विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु महाविद्यालय /शैक्षणिक अनुभाग प्रतिनिधि –
6 कक्षा प्रतिनिधि–

छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

1 मतदाता सूचियों का प्रकाशन दिनांक 11.8.2011 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)
2 मतदाता सूचियों पर आपत्ती प्राप्त करना 12.8.2011 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 1.00 बजे तक)
3 मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 12.8.2011 (प्रातः 1.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक)
4 उम्मीदवारी हेतु नामांकन पत्र दाखिल करना 16.8.2011 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)
5 उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 17.8.2011 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 1.00 बजे तक)
6 उम्मीदवारों की अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन 17.8.2011 (दोपहर 1.00 बजे से 5.00 बजे तक)
7 मतदान दिनांक 20.8.2011, समय प्रातः 8.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक ।

8 मतगणना एवं चुनाव परीणामों की धोषणा तथा विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलवाना
दिनांक 20.8.2011 को मध्यान्ह 2.00 बजे से कार्य समाप्ति तक ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, दिनांक 11.8.2011 तक नियमानुसार एक वर्षीय अथवा उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी नियमित विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि महाविधालय एवं विश्वविधालयों में चुने गये कक्षा प्रतिनिधि महाविधालय/विश्वविधालय छात्र संघ के सदस्य होगें एवं उनमें से छात्र संघ कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा।

भ व दी य,

(राजीव स्वरुप)
प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव,महामहिम राज्यपाल, राजस्थान,राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री,राज.जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक मा.मंत्री, उच्च शिक्षा,राज.जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ।
5. निजी सचिव, प्रनुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा,राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा,राज.जयपुर।
7. निजी सचिब, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा,राज.जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ,चिकित्सा शिक्षा,राज.जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा,राज.जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा,राज.जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, पुलिस विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. शासन उप सचिव, उच्चशिक्षा विभाग ।
14. सभी कुलसचिव, निजि विश्वविद्यालय ।

विशेषाधिकारी,उच्च शिक्षा